न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/119/2023	2023/562	25.10.2023	04.11.2025

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री रंगलाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम ऑदवाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र श्री मोहन्या,
2. जमनालाल पुत्र श्री मोहन्या,
3. महेश पुत्र श्री कजोड्या,
4. राजेश पुत्र श्री कजोड्या,
5. दिनेश पुत्र श्री रामजीलाल,
6. जगन्या मीना पुत्र श्री रामसहाय,
7. छोटा मीना पुत्र श्री रामसहाय,
8. सुमरत्या मीना पुत्र श्री रामसहाय,
9. हरिकिशन मीना पुत्र श्री रामसहाय

समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम ऑदवाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

—असल रैस्पाडैन्टस

10. लल्लू राम मीना पुत्र श्री सोहनपाल,
11. शिवलाल मीना पुत्र श्री सोहनपाल,
12. मुकेश मीना पुत्र श्री रंगलाल,
13. मंगी देवी पत्नि श्री रंगलाल,
14. सुखलाल मीना पुत्र श्री भोलूराम,
15. रमेश चंद मीना पुत्र श्री भोलूराम

जातियान मीना निवासीयान ग्राम ऑदवाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

—तरतीबी रैस्पाडैन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी आदेश दिनांक 28.07.2023 प्रकरण संख्या 02/2023

उपस्थितः—

01. श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट
02. श्री धर्मेन्द्र जैसावत —वकील रेस्पोडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0 दिनांक 28.07.2023 प्रकरण संख्या 02/2023 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज की गई।

अपीलाण्ट वकील द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आलोच्य आलोच्य आदेश दिनांक 28—07—2023 राजस्व वाद संख्या 02/2023 कार्यालय तहसीलदार कम कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर (राज०) तहत अदालत द्वारा मिन अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी व गैरजानकारी में में पारित किया गया हैं। मिन अपीलान्ट दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

28–07–2023 को अपनी रिश्तेदारी में चले जाने के कारण तहत अदालत में उपस्थित नही हुआ था, तथा मिन अपीलान्ट के वकील साहब ने आश्वासन एवं विश्वास दिया था, कि तहत अदालत में जो भी कार्यवाही होगी, उसकी सूचना मिन अपीलान्ट को दे देगें, लेकिन काफी समय से मिन अपीलान्ट को उसके वकील साहब द्वारा तहत अदालत में चल रही कार्यवाही व आलोच्य आदेश की कोई जानकारी नही दी। दिनांक 28.09.2023 को असल रैस्पाडैन्टस ने मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के विवादित आराजी में कब्जे काश्त में मजाहमत की, तथा आपत्ति करने पर मौखिक रूप से उक्त आलोच्य आदेश तहत अदालत की जानकारी दी। जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने तहत अदालत में उपस्थित होकर जानकारी कर दिनांक 29.09.2023 को नकल के लिए आवेदन पेश किया, जो नकल दिनांक 29.09.2023 को तैयार होकर दिनांक 29.09.2023 को सायंकाल प्राप्त हुयी। दिनांक 01.10.2023 को मिन अपीलान्ट ने अलवर राजस्थान आकर अपने वकील साहब को नकल व कागजात दिखाकर कानूनी राय ली, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील अदालत श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। उसके बाद दिनांक 02.10.2023 से अपील हेतु आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 28.09.2023 से अपील बिना देरी के अन्दर अवधि अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं। आलोच्य आदेश तहत अदालत दिनांक 28.07.2023 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 28.09.2023 व आज तक का समय जो मिन अपीलान्ट को आलोच्य आदेश की जानकारी नही होने के कारण व्यतीत हुआ हैं, जो कि नेकनियती वो युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिए जाने योग्य हैं। जिस हेतु प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

हाल आराजी खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 हैक्टेयर, 510 रकबा 0.38 हैक्टेयर वाके ग्राम ऑदवाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उपरोक्त आराजी अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं, लेकिन बाहमी बंटवारा में उक्त आराजी मिन अपीलान्ट व कमल पुत्री रंगलाल मीना, मुकेश पुत्र रंगलाल मीना, मांगी देवी पत्नि रंगलाल मीना व सुनीता देवी पत्नी स्व० सोहनपाल मीना के हिस्से कब्जे में आई हैं। उपरोक्त आराजी हाल खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 हैक्टेयर का सहखातेदार सोहनपाल मीना पुत्र फैली जाति मीना निवासी ग्राम ऑदवाडी का 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर हाल 510 रकबा 0.38 हैक्टेयर का 1/8 हिस्सा का खातेदार दर्ज हैं, जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं, जिसके हिस्से की आराजी पर सुनीता देवी जो कि मृतक सोहनपाल मीना की विवाहिता पत्नी हैं, उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार हैं। परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया। इसलिए आलोच्य आदेश तहत अदालत निरस्तनीय हैं। अरसा करीब 4 साल पूर्व सुनीतादेवी के पति सोहनपाल मीना से उक्त आराजी असल रैस्पाडैन्टस ने काश्त हेतु बंटाई पर ली थी। जिस पर असल अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते हैं, तथा उक्त आराजी पर उनका हमारी इजाजत से कब्जा हैं। परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया। इसलिए आलोच्य आदेश तहत अदालत निरस्तनीय हैं।

मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने असल रैस्पाडैन्टस से अनेको बार कहा कि वो उक्त आराजी को अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को संभलवाये। लेकिन असल अप्रार्थीगण ने बतोर बदयान्ति उक्त आराजी पर अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को कब्जा नही संभलवाया। असल रैस्पाडैन्टस ने दिनांक 18–06–2023 को अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को उक्त आराजी का कब्जा संभलवाने से मना कर दिया। इसलिए अपीलान्ट व उक्त सहखातेदार/खातेदार काश्तकार ने तहत अदालत में असल रैस्पाडैन्टस के खिलाफ प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया हुआ हैं। जिसका कोई निर्णय तहत अदालत द्वारा नही किया गया हैं। जबकि असल रैस्पाडैन्टस द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट के खिलाफ पेशकर्दा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का ही निर्णय खिलाफ कानून व खिलाफ मौका पारित किया हैं। इसलिए आलोच्य आदेश तहत अदालत निरस्तनीय हैं।

मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस असल रैस्पाडैन्टस की खातेदारी की आराजी पर बुजुर्गान के समय से ही सहमति से बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे हैं। असल रैस्पाडैन्टस हमारी आराजी खसरा नंबर 484 व 510 पर तथा हम उनकी आराजी खसरा नंबर 557 व 558 पर काश्त करते चले आ रहे हैं। दोनो पक्षकारान ने एक दूसरे के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही हेतु प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार तहत अदालत में की गई हैं। विवादित आराजी खसरा नंबर 557 व 558 पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने कोई काश्त नही की हैं, आराजी खाली पडी हुई हैं, हम उसमें काश्त नही कर रहे हैं। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने तहत अदालत में पेशकर्दा जवाब प्रार्थनापत्र में स्पष्ट अंकित किया हैं, कि यदि असल रैस्पाडैन्टस मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस की उक्त आराजी से अपना कब्जा छोडने को तैयार हैं, तो मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस असल रैस्पाडैन्टस की उक्त आराजी से अपना कब्जा छोडने को तैयार हैं। परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया। इसलिए आलोच्य आदेश तहत अदालत निरस्तनीय हैं। तरतीबी रैस्पाडैन्टस के विवादित आराजी उपरोक्त में व अपील में हित निहित हैं, जो अपीलान्टस बनकर पैरवी करने में असमर्थ हैं। इसलिए रफाये हुज्जत तरतीबी रैस्पाडैन्टस बनाया गया हैं।

अतः अपील पेश कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 28.07.2023 राजस्व वाद संख्या 02/2023 कार्यालय तहसीलदार कम कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर (राज०) निरस्त फरमाया जावें। खर्चा मुकदमा अपीलान्ट को असल रैस्पाडैन्टस से हरदो अदालत का दिलाया जावें।

रेस्पो0 द्वारा अपी0 के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूरी तरह विधिसंगत है। अपी0 को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था, परंतु वह जानबूझकर अनुपस्थित रहा। कार्यवाही में कई बार तिथियाँ दी गईं, किंतु अपीलार्थी या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अतः आदेश एकपक्षीय नहीं, बल्कि विधि अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाकर पारित किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है। वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अपी0 द्वारा कथन किया है कि तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2023 उनकी अनुपस्थिति तथा जानकारी के अभाव में पारित किया गया। अपी0 का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं 510 रकबा 0.38 हैक्टेयर वाके ग्राम ऑदवाडी की खातेदारी भूमि है जो कि अपी0 तथा उनके परिवारजनों के संयुक्त कब्जे–काश्त में है। उक्त भूमि में मृतक सोहनपाल मीना का अंश होने के कारण उनकी पत्नी सुनीता देवी खातेदार काश्तकार हैं। यह तथ्य तहसीलदार द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2023, प्रकरण संख्या 02/2023, विस्तृत विचारण के पश्चात पारित किया गया है। आदेश में यह उल्लेख है कि अपी0 को कई बार तिथि देकर उपस्थित होने का अवसर दिया गया, किंतु वह बार–बार अनुपस्थित रहा। इस स्थिति में तहसीलदार ने उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया, जो कि विधि की दृष्टि में उचित है। अपी0 का यह तर्क कि उसे आदेश की जानकारी बाद में प्राप्त हुई, अभिलेखीय रूप से प्रमाणित नहीं होता। नकल आवेदन दिनांक 29.09.2023 प्रस्तुत किया गया है, परंतु अपील दायर करने में देरी का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि अपी0 को पहले जानकारी नहीं थी। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत देरी माफी हेतु जो कारण बताए गए हैं, वे सामान्य प्रकृति के हैं और "सप्रमाण युक्तियुक्त कारण" की श्रेणी में नहीं आते। जहाँ तक भूमि के अधिकार का प्रश्न है, तहसीलदार ने दोनों पक्षों के खातेदारी रिकार्ड, खसरा निरीक्षण एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह पाया कि विवादित भूमि पर रेस्पो0 का वैध कब्जा है तथा अपी0 का दावा पर्याप्त प्रमाणों से रहित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश तथ्य और साक्ष्य दोनों पर आधारित है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि, साक्ष्य एवं तथ्यों पर आधारित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार (भू.अ.) रैणी, जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2023, प्रकरण संख्या 02/2023, यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो। दोनों पक्ष अपने–अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)